प्रेस नोट 15.04.2018

290 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त व आरोपी फरार

उपनिरीक्षक सहदेवसिंह मीणा मय जाप्ता इन्द्रसिंह सहायक उपनिरीक्षक मय राजाराम मय सरकारी जीप मय अनुसंधान बॉक्स के वास्ते गश्त व जुरायम कन्ट्रोल व पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर के आदेशानुसार नाकाबन्दी हेतु थाना से रवाना होकर गश्त करता हुआ पीपलाज टोल पर पहुंचा जहां पर आने जाने वाले वाहनो को उपनिरीक्षक मय जाप्ता के चौक किया जा रहा था अजमेर की तरफ से दो छोटे वाहन आकर टोल पार करके टोल से आगे कांटे के पास रुके । जो पुलिस द्वारा वाहनो को चौकिंग करते हुये देखने पर दोनो ही वाहनो के चालको ने वाहनो को स्टार्ट कर रवाना हो गये और वाहनो तेजगति से चलाने लगे । उक्त माजरा देखकर मन उपनिरीक्षक मय जाप्ता मय जीप सरकारी के वाहनों का पीछा किया तो सरकारी जीप के आगे चल रहे XUV 500 गाडी CH01-AM-8573 चल रही थी , जिसमें केवल एक चालक ही था आगे एक बिना नम्बरी डार्क कॉफी कलर की केम्पर चल रही थी। जिसमें पीछे से डाले में प्लास्टिक के बोरे भरे नजर आये । वाहन XUV 500 गाडी CH01-AM-8573 को उपनिरीक्षक द्वारा क्रोस करना चाहा तो उक्त वाहन का चालक पुलिस

की जीप को आगे नहीं ले जाने दे रहा था। बार–बार वाहन के रोड के कभी इस तरफ व कभी उस तरफ ले जाने लगा । सरकारी वाहन को चला रहे इन्द्रसिंह एएसआई द्वारा भी सराकारी वाहन को से आगे ले जाने का व्यापक प्रयास किया गया। सरकारी वाहन को आगे नहीं निकालने दिया। उपनिरीक्षक उक्त वाहन का पीछा करता रहा एवं वाहनों को रूकवाने के लिये आगे स्थित थानेजात को भी सुचित किया। तथा उपनिरीक्षक भी वाहनो का पीछा करते हुये पाली बॉर्डर के पास बनेवडी तिराये पर पहुंचा । जहां पर जैसे तैसे दोनो वाहनो के आगे सरकारी वाहन को ले जाकर उक्त वाहनो को रोकने का प्रयास किया तो उपरोक्त दोनो वाहनों के चालक दोनो वाहनो को बनेवडी गांव की तरफ रोड के किनारे खडा कर अन्धेरे का फायदा उठाते हुये वाहनो को छोडकर भाग गये जिस पर वाहन बोलेरो केम्पर को चेक किया तो 290 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त होना पाया गया जिस पर वापसी थाना पर मु न 160/2018 धारा 8/15, 8/29 एनडीपीएस एक्ट मे कायम कर अनुसंधान आरम्भ किया गया ।